न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नथुराम बनाम नेकीराम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. – 162/2008

तारीख हुक्म	प्रा०पत्र स्थगन
30-04-25	वकील प्रार्थी उपस्थित। शेष रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण क्रमांक 2,4 व 5 के नोटिस तामील होकर लौटे हैं जो तामील पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण क्रमांक 2,4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18-06-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
18.06.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन व इससे सम्बन्धित मूल अपील नामान्तकरण में दिनांक 30.04.2025 को रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मूल अपील नामान्तकरण व इस प्रार्थना पत्र स्थगन में रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल अपील नामान्तकरण के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र स्थगन का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझाते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थगन में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.09.2008 को मूल अपील नामान्तकरण के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)